JALAUN POLICE

दिनांक – 13.09.2026

सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के अनुपालन हेतु विशेष चेकिंग अभियान

जनपद में दिनांक 14.09.2026 से एक सप्ताह का सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाना है। अभियान के दौरान यातायात पुलिस एवं थाना पुलिस द्वारा प्रमुख चौराहों, मार्गों एवं संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग की जायेगी। चेकिंग के दौरान विशेष रूप से निम्न प्रकार के वाहनों एवं वाहन चालकों पर कार्यवाही की जायेगी।

- नशे की हालत में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की जांच।
- वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही।
- प्रेशर हॉर्न/अनाधिकृत हूटर का प्रयोग करने वाले वाहनों की चेकिंग।
- बिना एचएसआरपी (High Security Registration Plate) के संचालित वाहनों की जांच।
- फाल्टी/अमान्य/नियम विरुद्ध नम्बर प्लेट लगे वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही।
- अवयस्कों द्वारा वाहन चलाने के मामलों में नियमानुसार कार्यवाही।
- ओवरस्पीड, स्टंट व रांग साइड वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही।
- यातायात के अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालान/विधिक कार्यवाही की जायेगी।

अभियान के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने एवं नशे की हालत में वाहन न चलाने के संबंध में जागरूक किया जाना है। पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जा रही है कि वे यातायात नियमों का पालन करें तथा अपने एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। नशे में वाहन चलाना, अवयस्क को वाहन चलाने देना तथा वाहनों में अनाधिकृत साइलेंसर/हॉर्न/हूटर लगाना न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि, सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण भी बन सकता है।

यह विशेष चेकिंग अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।